

नीमकाथाना के गांव निमोद से लापता भावेश का 14 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग

ग्रामीणों और परिजनों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया

पाटन, (निर्स)। नीमकाथाना के पास गांव निमोद स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए पांच वर्षीय मासूम भावेश का 14 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगने से ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों और परिजनों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा बालक की शीघ्र बरामदगी की मांग उठाई। देर तक धरना जारी रहने के बाद आक्रोशित ग्रामीण उपखंड कार्यालय परिसर के भीतर पहुंच गए और हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी राजवीर यादव और पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। बाद में ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर मामले में त्वरित कार्रवाई तथा बालक की तलाश की ओर से हर संभव प्रयास करने और जांच की गति देने का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना



पांच वर्षीय मासूम भावेश की शीघ्र बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।

समाप्त कर दिया गया।

पूर्व बुनकर संघ अध्यक्ष राधेश्याम सिंह तंवर ने कहा कि 14 दिन बीत जाने के बावजूद भावेश का कोई सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों में गहरा रोष है। उन्होंने प्रशासन के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें घटना वाले दिन मंदिर परिसर में पहुंचे दो

संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर जांच करना, मंदिर पुजारी से गहन पूछताछ, आसपास के क्षेत्र की मोबाइल लोकेशन की जांच तथा मामले की निष्पक्ष और प्रभावी पड़ताल शामिल है। तंवर ने चेतावनी दी यदि आगामी सात दिनों में भावेश का पता नहीं लगाया गया तो 3 जुलाई

को व्यापक और उग्र जन आंदोलन किया जाएगा।

पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने बताया कि प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच सकारात्मक वार्ता हुई है। प्रशासन ने मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही भावेश का सुराग

नहीं लगा तो क्षेत्रभर के लोगों को साथ लेकर बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से भावेश की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि 14 दिन पूर्व 5 वर्षीय भावेश अपने परिजनों के साथ निमोद स्थित पहाड़ी पर बने हिंगलाज माता मंदिर में दर्शन करने गया था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। उसकी तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग तथा ग्रामीण लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं, लेकिन अब तक बालक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर क्षेत्र में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

इस अवसर पर डॉ. शिवराज सिंह, दुर्गा सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भूपेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

नीट-2026 का फर्जी पेपर बेचकर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

अजमेर, (निर्स)। अजमेर पुलिस ने नीट-2026 परीक्षा का फर्जी प्रश्नपत्र तैयार कर अर्थाथियों से ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर 30 हजार रुपये की मांग की थी।

सीओ मनीष कुमार बड़गुर्जर ने बताया कि रामगंज थाना क्षेत्र में विश्रामबाड़ी निवासी कृष्णा सिंह ने 23 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक छात्रा को मोबाइल नंबर के माध्यम से कॉल कर नीट का कथित प्रश्नपत्र दिखाया गया और उसके बदले 30 हजार रुपये मांगे गए। शिकायतकर्ता ने मामले की पुष्टि के लिए अपने मित्र के फोन से संपर्क किया तो आरोपी ने वीडियो कॉल पर कथित पेपर दिखाते हुए रुपये जमा कराने के लिए ब्यूआर कोड भेज दिया।

■ आरोपियों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर 30 हजार रुपये की मांग की थी

पूरी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी पड़ताल कर हरियाणा के करनाल से दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने फर्जी पेपर तैयार कर लोगों से ठगी करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर कथित

प्रश्नपत्रों के वीडियो अपलोड करते थे और व्हाट्सएप नंबर साझा कर अर्थाथियों से संपर्क स्थापित करते थे। इसके बाद ब्यूआर कोड के माध्यम से पैसे लेकर फर्जी पेपर उपलब्ध कराए जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा के करनाल निवासी 19 वर्षीय आकाश कुमार तथा वर्तमान में करनाल स्थित एक कॉलेज हॉस्टल में रह रहा 20 वर्षीय अश्वनी कुमार शामिल हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया और इस गिरोह में अन्य कौन-कौन शामिल हैं।

चोरी के मामले में महिला गिरफ्तार

अजमेर, (कास)। पुलिस थाना क्लॉक टॉवर ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए शांति महिला चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला घर में साफ-सफाई का काम करती थी और उसी दौरान सोने के गहने चुरा ले गई थी। पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया है।

क्लॉक टॉवर थाना प्रभारी

बीखाराम ने बताया कि 23 जून को प्रार्थी अमन जैन पुत्र विमल जैन, निवासी महावीर मोहल्ला, केसरगंज ने थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार उनके घर से एक सोने का कंगन और 4 सोने की अंगुठियां चोरी हो गई थीं। इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शक के आधार पर घर

में साफ-सफाई का काम करने वाली बाई मनीषा को डिटेल कर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। गिरफ्तार महिला का नाम मनीषा है। वह मूल रूप से नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और हाल में वह केसरगंज स्थित एक के आकरान में रह करिएदार के रूप में रह रही थीं।

हाई कोर्ट ने वायुसेना के स्ववाइडन लीडर के तबादले को सही ठहराया

जोधपुर, (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एक स्ववाइडन लीडर के तबादले को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों में तबादला सेवा का सामान्य हिस्सा है और इसे व्यक्तिगत सुविधा या पारिवारिक कठिनाइयों के आधार पर नहीं रोका जा सकता।

यह मामला स्ववाइडन लीडर दीपक सिंधु से संबंधित था। उन्होंने जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से तेजपुर स्थानांतरण के आदेश को चुनौती दी थी। अधिकारी ने अपनी याचिका में बताया था कि उनके पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं

■ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों में तबादला सेवा का सामान्य हिस्सा है और इसे व्यक्तिगत सुविधा या पारिवारिक कठिनाइयों के आधार पर नहीं रोका जा सकता

और उनकी एक किडनी निकाली जा चुकी है। उनकी माता 50 प्रतिशत बर्न सर्वाइबर हैं और उन्हें लगातार देखभाल की आवश्यकता है। स्ववाइडन लीडर सिंधु ने यह भी दलील दी थी कि पोस्टिंग नीति के अनुसार उनका जोधपुर में कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके जवाब में केंद्र सरकार और वायुसेना ने

तर्क दिया कि पोस्टिंग नीति केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने संगठनात्मक आवश्यकता और संचालन क्षमता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

जस्टिस डॉ. पुष्येन्द्रसिंह भाटी और जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी को खंडपीठ ने

अपने फैसले में माना कि अधिकारी की पारिवारिक परिस्थितियां सहानुभूति योग्य हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ये परिस्थितियां तबादले को रद्द करने का आधार नहीं बनतीं। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि हर मामले में व्यक्तिगत कठिनाइयों के आधार पर राहत दी जाने लगे तो इससे सशस्त्र बलों के अनुशासन और कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने विशेष अपील स्वीकार करते हुए एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया और स्ववाइडन लीडर दीपक सिंधु के तबादला आदेश को बरकरार रखा।

खाटूश्यामजी के श्रद्धालुओं की कार पलटी, तीन महिलाएं घायल

पावटा, (निर्स)। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बावड़ी के पास गुरुवार को एक सड़क हादसे में खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में कार में सवार तीन महिलाएं घायल हो गईं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन कर अपने घर फरीदाबाद लौट रहे थे। इसी दौरान एनएच-48 पर बावड़ी के निकट उनकी ब्रेजा कार अचानक अनियंत्रित हो गई और चार पांच बार पलटी खाकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पलट गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की

■ कार सवार श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन करके वापस फरीदाबाद लौट रहे थे

सूचना मिलते ही पास ही कोटपुतली एक अभियान में जा रही एक थड़ी पर चाय पी रही विद्याधर नगर आरटीओ इंस्पेक्टर शकीला बानो व उनकी टीम दोड़कर मौके पर आई व ग्रामीणों की सहायता से गाड़ी को सीधाकर उसमें फंसे तीन पुरुष व तीन महिलाओं को बाहर निकाला व घायल किरण, संतोष, काजल को कार से बाहर

निकालकर उपचार के लिए पास ही डीपी अस्पताल पहुंचाया गया। जबकि पुरुषों के मामूली चोटें आई हैं। वहीं प्राणपुरा थाना प्रभारी भजनाराम मय जाता मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी घायल खतर से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था सुचारु करवाई तथा दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण वाहन का संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार डिवाइडर से टकराने के बाद कई बार पलटी खाई, लेकिन समय रहते राहत कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया।

बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब पावटा, (निर्स)। विराटनगर पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार बादशाहपुर गांव चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर के ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोककर जांच की गई। जांच में ट्रॉली में करीब 4 टन बजरी बिना वैध लाइसेंस एवं परमिट के परिवहन करते हुए पाई गई। इस पर पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित बजरी को जब्त कर लिया। मामले में चालक महाराम गुर्जर निवासी बुर्जा पाली, थाना बासदयाल, जिला कोटपुतली-बहरोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ विराटनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच जारी है।

हाईवे पर तीन कारें भिड़ी, आठ लोग बाल-बाल बचे

बीकानेर, (निर्स)। श्रीदुर्गराज में नेशनल हाईवे पर कितारसर के पास तीन वाहनों में जोरवार टक्कर हो गई। हादसे में तीनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की आत्म-सहानि नहीं हुई है। तीनों वाहनों में आठ जने सवार थे और सभी सुरक्षित हैं।

जानकारी के अनुसार हाईवे पर एक आई-20 कार और फॉल्कस्वर की आमने-सामने टक्कर हो गई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि फॉल्कस्वर संभल पाया, उससे

पहले पीछे से आ रही एक अन्य कार भी उससे जा टकराई। देखते ही देखते तीनों वाहन हादसे की चपेट में आ गए। फॉल्कस्वर में सवार तीन जने सालासर में बलाजी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हादसे के दौरान वाहनों में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। तीनों वाहनों में आठ जने सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा।

50 क्विंटल खेजड़ी की हरी लकड़ी जब्त

सादलपुर, (निर्स)। राज्य वृक्ष खेजड़ी की तस्करी का कारोबार क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस और वन विभाग की ओर से गत दिनों हुई अनेक कार्रवाई के बाद भी हरियाणा में खेजड़ी की लकड़ी की तस्करी का कारोबार लगातार जारी है। वन संपदा की अवैध कटाई और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग ने दो पिकअप वाहनों में भरकर ले जाई जा रही करीब 50 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त की।

रेंजर शंकर लाल ने बताया कि एनएच-52 पर विशेष निगरानी के दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच के लिए नाकाबंदी की। जांच के दौरान दो पिकअप वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में दोनों वाहनों में बड़ी मात्रा में हरी लकड़ियां भरी हुई मिलीं। परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और वैध अनुमति नहीं मिलने पर वाहनों सहित करीब 50 क्विंटल हरी लकड़ी को जब्त कर लिया।

अंतर्राज्यीय सायबर ठगी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार

हिंडौन सिटी, (निर्स)। करौली जिला पुलिस ने अंतर्राज्यीय सायबर ठगी गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले को शुरूआत तब हुई जब परिवारी रामकेश जाटव ने इलाज के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने हेतु गुराल पर उपलब्ध एक मोबाइल नंबर से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि सायबर अपराधियों ने गुराल पर फर्जी नंबर अपलोड कर रखा था। परिवारी द्वारा संपर्क करने पर आरोपियों ने पहले अपॉइंटमेंट बुकिंग के नाम पर पैसे जमा कराने तथा ओटीपी प्राप्त करने का प्रयास किया। जब आरोपी अपने प्रयास में सफल नहीं हुए तो उन्होंने परिवारी के मोबाइल पर नाम की फाइल भेजी। फाइल डाउनलोड होने के बाद

फर्जी फर्म खुलवाने और उन्हें सायबर अपराध में उपयोजन करने में भी शामिल रहा। पुलिस जांच में आरोपी की पहले गिरफ्तार किए जा चुके अन्य आरोपियों से साठगंठ सामने आई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का समूह सामूहिक रूप से सायबर अपराध से जुड़ी सैकड़ों गंभीर वारदातों में संलिप्त रहा है और विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है। गौरतलब है कि परिवारी द्वारा 3 अगस्त 2025 को सायबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। इस मामले में पूर्व में भवानी सिंह मीना, विक्रम सिंह मीना, विष्णु मीना उर्फ कल्ला तथा तनीन अंसारी को गिरफ्तार किया जा चुका है।

नीमकाथाना, (निर्स)। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-2 नीमकाथाना पुनम शर्मा ने ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या के बहुचर्चित मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर ने बताया कि 15 नवंबर 2023 को नंद सिंह निवासी थाना डाबला ने पुलिस थाना पाटन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई भवानी सिंह के साथ आरोपियों ने पहले मारपीट की और बाद में उसे जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर

ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास

■ न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

से कुचल दिया। घटना के दौरान भवानी सिंह की पत्नी राजकंवर के साथ भी कुल्हाड़ी से मारपीट की गई थी। इस संबंध में थाना डाबला में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 136 दस्तावेज और 6 भौतिक वस्तुएं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गईं। राज्य

सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रामसिंह गुर्जर ने की। न्यायालय ने 24 जून को आरोपी रविंद्र सिंह, जनक सिंह, दीपक सिंह एवं माया केवर निवासी थाना डाबला, जिला सीकर को दोषी ठहराया। इसके बाद 25 जून 2026 को दंडादेश पारित करते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतान होगा। इसके अलावा धारा 341/34 के तहत एक माह का साधारण कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 323/34 के तहत छह माह का कठोर कारावास एवं

एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायालय ने अपने निर्णय में माना कि अभियोजकों ने रास्ते एवं जमीन के विवाद की रंजिश के चलते सामान्य आशय की पूर्ति के लिए इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। निर्णय में कहा गया कि आरोपियों ने पहले भवानी सिंह के साथ मारपीट कर उसे गिरा दिया ताकि वह स्वयं का बचाव न कर सके। वहीं राजकंवर को घायल कर मृतक की सहायता करने से रोका गया। न्यायालय ने यह भी माना कि आरोपियों ने भवानी सिंह के ऊपर तब तक ट्रैक्टर चढ़ाया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई और उसके

आंतरिक अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। निर्णय में यह भी उल्लेख किया गया कि घटना के बाद आरोपियों ने मानवता और संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया तथा घायल एवं मृतक को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करने के बजाय ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए। इससे उनका हत्या करने का स्पष्ट आशय प्रमाणित होता है। न्यायालय ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के वारिसों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के लिए जिला पुलिस सेवा प्राधिकरण, सीएफ को अनुशंसा भी की है। परिवारी पक्ष की ओर से अभिवक्ता सत्यनारायण सैनी ने पैरवी की।